

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 9/2022

(Bank Case)

GCMS NO: 2022/ 2

"आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड" (जो पूर्व हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय- 201-202, द्वितीय तल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर- 302020 में स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत अधिकारी भुवनेश गौड़।

- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

## बनाम

1. श्री चेताराम नागर पुत्र श्री रामनारायण नागर (ऋणी-बंधककर्ता)  
पता:-477-ए, संतोषी नगर कच्ची बस्ती, दादाबाड़ी कोटा राजस्थान - 324009  
दूसरा पता- सम्पत्ति सरियल नं. 477, वेस्ट पार्ट, कॉर्नर, संतोषी नगर, कच्ची बस्ती कोटा राजस्थान -324009
2. श्रीमती द्वारिका नागर पत्नी श्री चेताराम नागर (सह-ऋणी)  
पता:-477-ए, संतोषी नगर कच्ची बस्ती, दादाबाड़ी कोटा राजस्थान
3. श्री दीपक नागर पुत्र श्री चेताराम नागर (सह-ऋणी)  
पता-477-ए, संतोषी नगर कच्ची बस्ती, दादाबाड़ी कोटा राजस्थान-324009  
- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 30-05-2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी "आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड" (जो पूर्व हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय- 201-202, द्वितीय तल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर- 302020 में स्थित है, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 17.01.2020 को 7,50,000/- रुपये (अक्षरों: सात लाख पचास हजार रुपये) का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप में श्री चेताराम नागर पुत्र श्री रामनारायण नागर की सम्पत्ति सीरियल नं. 477, वेस्ट पार्ट, कॉर्नर, संतोषी नगर, कच्ची बस्ती कोटा राजस्थान-324009 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 658.7 स्क्वायर फुट है। जो जरिये विक्रय पत्र दिनांक 05.05.2017 से चेताराम नागर के नाम है। चतुर्थ सीमा- पूर्व में रोड, पश्चिम में अन्य मकान, उत्तर में रेस्ट पार्ट ऑफ मकान नं. 477, दक्षिण में रोड है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 31.12.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में बकाया राशि-7,68,418/- रुपये (अक्षरों: सात लाख




जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज०)

अडसठ हजार चार सो अठारह ) दिनांक 29.06.2021 तक शेष देय है व दिनांक 30.06.2021 आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 02.07.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 02.07.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फेरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 02.07.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्त के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता श्री चेताराम नागर पुत्र श्री रामनारायण नागर की सम्पत्ति सीरियल नं. 477, वेस्ट पार्ट, कॉर्नर, संतोषी नगर, कच्ची बस्ती कोटा राजस्थान-324009 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 658.7 स्क्वायर फुट है। जो जरिये विक्रय पत्र दिनांक 05.05.2017 से चेताराम नागर के नाम है। चतुर्थ सीमा- पूर्व में: रोड, पश्चिम में: अन्य मकान, उत्तर में: रेस्ट पार्ट ऑफ मकान नं. 477, दक्षिण में: रोड है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 30-5-2022 को सुनाया गया।

  
(हरि मोहन मीना)  
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज०)